International Journal of Applied Research 2021; 7(2): 306-309

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(2): 306-309
www.allresearchjournal.com
Received: 18-12-2020
Accepted: 20-01-2021

डॉ0 अम्बुज कुमार
अस्टिटेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),
एस0बी0ए0एन0 कॉलेज,
दरहेटा–लारी, मगध
विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार,
भारत

Corresponding Author:
डॉ0 अम्बुज कुमार
अस्टिटेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),
एस0बी0ए0एन0 कॉलेज,
दरहेटा–लारी, मगध
विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार,
भारत

बिहार में धोबी की उपजाति राजधोबी : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ0 अम्बुज कुमार

सारांश
भारत के बिहार राज्य में निवास करने वाले राजधोबी जाति की कुल जनसंख्या लगभग 16 हजार है। यह जाति बिहार राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–I) में क्रमांक 70 पर दर्ज है, जबकि भारत सरकार के अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) की सूची के क्रमांक 106 पर है। इस जाति की कोई उपजाति नहीं है, बल्कि 'ये लोग धोबी की उपजाति है, तथा कश्यप गोत्र के है'।[1] प्रस्तुत अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि ये लोग पहले राजा–महाराजा का कपड़ा धोने का कार्य करते थे, इसी कारण इनका नाम राजधोबी पड़ा। परन्तु जैसे–जैसे राजाओं का अन्त होता गया, वैसे–वैसे इनके परम्परागत पेशा में ह्रास हुआ। जब पेशा में ह्रास हुआ तो, इनकी आमदनी घटने लगी, जिसके कारण कई अन्य तरह के कार्य जैसे – दैनिक मजदूरी, चटाई बुनना, पशुपालन व कोशी नदी के तट पर दरभंगा महाराज के निर्जन भूमि पर खेती करने को मजबूर हुआ। अस्पृश्यता के कारण सदियों से शोषित, दमित राजधोबी जाति आज तीव्र संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आवास व कोशी नदी के कटाव के कारण विस्थापन इत्यादि अनेक समस्याएँ इनकी जीवन स्तर को झकझोरती रही है। यद्यपि भारत एवं बिहार सरकार की आरक्षित कोटि के जातियों की सूची में, इसे मूल कोटि अनुसूचित जाति (SC) से विलग करते हुए OBC (बिहार में BC-I) में रखा गया है, जो न्यायसंगत नहीं लगता। इस जाति के बारे में तथ्य संकलन के क्रम में पता चला कि, इनलोगों के द्वारा समय–समय पर राज्य व भारत सरकार से मांग की जाती रही है कि इसे मूल जाति 'धोबी के जैसा अनुसूचित जाति का लाभ मिले, लेकिन लाभ मिलने की आशा निराशा में बदलती जा रही है।

मुख्य शब्द : धोबी, राजधोबी, राजधोब, दरभंगा महाराज, जाति, उपजाति।

प्रस्तावनाः
राजधोबी का शाब्दिक अर्थ राजा का कपड़ा धोने वाले समूहों से है। अर्थात् राजा+धोबी=राजधोबी। इन्हें राजधोव भी कहा जाता है, अर्थात् राजा+धोब=राजधोब।
सर विलियम क्रुक के अनुसार धोवी शब्द संस्कृत के ''धव'' शब्द से निकला है, जिसका अर्थ 'धोना' होता है। वही अंग्रेजी में इसे washerman कहा जाता है, और हिन्दी में धोना (Dhona, which means to wash) से धोबी बना है। 1931 की जनगणना में बिहार के कपड़ा धोने वाले जाति समूह को DHOBA भी कहा जाता था। वही आज भी पश्चिम बंगाल में धोपा, दमन और दीव में राजपूत धोवी, मिजोरम में धुपी (Dhupi), जम्मू तथा कश्मीर में धोब तथा पूर्वी भारत में धोबा एवं रजक भी कहते है। यानि धोबी को भारत में विभिन्नि नामों से जाना जाता है।
राजधोबी जाति मूल रूप से धोबी जाति ही है। यह बिहार में पाये जाने वाले एक शूद्र वर्ण (Shudra Varnas) या निम्न जाति समूह है, जिसका मुख्य कार्य राज परिवार के कपड़े धोने, रंगने, इस्त्री करने से संबंधित रहा है। कालान्तर में, अंग्रेजों के आने के बाद एवं मिथिला के राजतंत्र व्यवस्था संकट में होने के फलस्वरूप इनके व्यवसायों में कुछ परिवर्तन हुआ। ये लोग मजदूरी करने, चटाई बुनने, पशुपालन, (भैंस, बकरी) और कुछ लोग कोशी नदी के तट पर दरभंगा महाराज के निर्जन भूमि पर खेती एवं खेतिहर मजदूर का काम करने लगे।
प्रस्तुत अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि राजधोबी समुदाय के लोगों के पास संकट तब आया जब मिथिला की राजतंत्र व्यवस्था अराजकता की स्थिति में थी। चूँकि उस स्थिति में परम्परागत व्यवसाय पर आश्रित होकर जीना दुभर हो गया, तब ये लोग छोटे–छोटे समूहों में उस समय भागलपुर डिविजन के जिला अन्तर्गत कोशी नदी के तट पर दरभंगा महाराज के निर्जन भूमि पर धीरे–धीरे बसते चले गये। वही कुछ लोग पशुपालन (बकरी, भैंस), चटाई बुनकर और मजदूरी कर जीविकोर्पाजन करने लगे। पशुपालन हेतु चारागाह के रूप में पर्याप्त भूमि व वन था,

उसी वन में पटेर व मूँज की उपलब्धता से चटाई बुनकर ये लोग नजदीक के बाजारों में बेचने का कार्य भी शुरू किया और ऐसे ही 17वीं शताब्दी में इस जाति की नई समाज, संस्कृति व व्यवसाय की शुरूआत हुई। धीरे–धीरे कई दशको तक ऐसी ही जिन्दगी चलती रही, और छोटे–छोटे समूह कुछ गाँवों में तब्दील हो गया, जिसमें मुख्यतः मौरा, झहुरा, डेंगराही, पिपराही, भुलिया, औरही, बलथरवा, ढोली, कटैया, दिधिया, दुधैला और मैनही था। यही गाँव राजधोबी जाति की मूल निवास स्थल था। कालान्तर में कोशी नदी की विभीषिका व कटाव के कारण एवं जीविकोपार्जन हेतु 'कुछ लोग भागलपुर डिविजन से पूर्णिया जिला की ओर गया, बाद में वही बसते हुए कुछ गाँव के रूप में परिणत हुआ'[2]। आज राजधोबी जाति इन्हीं मूल स्थान से भपटियाही, सरायगढ़, डभारी, बभनी, सहरसा, नारायणपुर, पिपरा, जहलीपट्टी, सदानंदपुर, वेरदह, टेंगरी, करजाईन, वायसी, शिवनगर, परमानंदपुर, विशनपुर, बलुआ, मटियारी, ललितग्राम, रामपुरा, दिनबन्धु, भटनिया, वसावन पट्टी, दहगम्मा एवं बेला आदि जगहों पर प्रवासित होकर बस गये हैं। वर्त्तमान में यह जाति पूर्णिया जिला अन्तर्गत सिमलगाछी, सिमरिया, चक, रामदैली एवं सरसौनी और अररिया जिला के बनगामा, गरिया, कुसियार गाँव, कोदरकट्टी, जागीर हललिया, मधुलता एवं कुड़वा लक्ष्मीपुर गाँवों में भी बसे हुए है। तथ्य संकलन के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि अपने मूल निवास से विस्थापित होकर उपरोक्त जगहों पर बसे इन जातियों के टोले को 'धोबिया टोला' या 'धोबियाही' कहा जाता है।

तालिका 1: प्रस्तुत अध्ययन में बिहार के राजधोबी जाति की जनसंख्या निम्न तालिका द्वारा संकलित हुए हैं।

क्र0 सं0	जिला	प्रखण्ड	अनुमण्डल	घरों की कुल संख्या	जनसंख्या
01	सुपौल	सुपौल	सुपौल सदर	153	801
		निर्मली	निर्मली	496	2458
		छातापुर	त्रिवेणीगंज	395	2040
		वसंतपुर	वीरपुर	305	1510
		राघोपुर	वीरपुर	362	1740
		भपटियाही	सुपौल सदर	580	2642
02	मधुबनी	लौकही	फुलपरास	221	1279
03	सहरसा	कहरा	सहरसा सदर	09	60
04	अररिया	अररिया	अररिया सदर	228	1008
		फारबिसगंज	फारबिसगंज	135	587
		रानीगंज	फारबिसगंज	65	278
05	पूर्णिया	पूर्णिया पूर्व	पूर्णिया सदर	72	301
		कसवा	पूर्णिया सदर	58	259
		जलालगढ़	पूर्णिया सदर	155	625
			कुल	3234	15578

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सबसे अधिक सुपौल जिला में राजधोबी जाति की जनसंख्या 11,191 है, जबकि सहरसा जिला में सबसे कम 60 व्यक्ति ही है। कुल पाँच जिलो और 14 प्रखण्डों में 3234 परिवारो की संख्या के साथ कुल राजधोबी जाति की आबादी 15578 है। लेकिन सवाल यह उठता है कि धोबी से ये लोग राजधोबी क्यों बना? जो शोध का विषय है।

दरअसल इनके बहुत सारे कारण है, जिसके फलस्वरूप धोबी से राजधोबी बना। सबसे पहली बात तो यह है कि यह जाति भारत के मिथिला क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों या राज्यों में नहीं पाया जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि मिथिला के ही किसी न किसी राजा के दरबार में राजधोबी जाति के पूर्वज या वंशज कपड़ा धोने का कार्य करता था, वही धोबी अपनी उच्च आकांक्षा एवं जाति संस्तरण में अस्पृश्य जाति की सामाजिक स्तर से अपने को ऊपर उठने हेतु 'राज' शब्द जोड़कर राजधोबी बना ताकि धोबियों से उच्च सम्मान व मर्यादा समाज में मिल सके।

अध्ययन का उद्देश्य :–

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य के सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, एवं मधुबनी जिलो में निवास करने वाले राजधोबी जाति का समाजशास्त्रीय अध्ययन है। इस अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है :–

(1) राजधोबी जाति के इतिहास के बारे में पता लगाना।
(2) धोबी एवं राजधोबी दोनों एक ही जाति समूह के है, अथवा अलग–अलग, इनकी जानकारी प्राप्त करना।
(3) धोबी की उपजाति राजधोबी है या राजधोबी एक अलग जाति, इनका पता लगाना।
(4) यह जाति शूद्र वर्ण के है या नहीं, इनकी जानकारी प्राप्त करना।
(5) यह जाति भारत के किन–किन राज्यों व जिलों में मूलरूप से निवास करते है, इनका पता लगाना।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र सुपौल, सहरसा, मधुबनी पूर्णिया एवं अररिया जिला है। जिसमें प्राथमिक आँकड़ें के रूप में 20–20 व्यक्तियों का हर जिले से प्रतिदर्श के रूप में चयन करके कुल 100 व्यक्तियों से तथ्य एकत्रीकरण की पद्धति के रूप में साक्षात्कार–अनुसूची (Interview – Schedule) एवं अर्द्ध–सहभागी अवलोकन पद्धति तथा अनौपचारिक तौर पर समुदाय के सदस्यों से बातचीत के द्वारा तथ्य संग्रह किया गया है। इसके अलावा द्वितीयक आँकड़ों (Secondary Data) के रूप में प्रकाशित शोध साम्रगियों, पुस्तकों, सरकारी सांख्यिकीय सूचनाओं व जनगणना, समाचार–पत्रों इत्यादि से भी तथ्य संकलित किये गये हैं।

आँकड़ों का विश्लेषण :–

राजधोबी जाति सदियों से मिथिला क्षेत्र में निवास करते आ रहे है। मिथिला प्राचीन भारत में एक राज्य था, जिसमें वर्तमान बिहार के तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोशी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल तथा झारखण्ड राज्य के संथाल परगना प्रमंडल शामिल है। वैदिक स्त्रोतो के मुताबिक आर्यों की विदेह शाखा ने अग्नि के संरक्षण में सरस्वती तट से पूरब में सदानीरा (गंडक) की ओर कूच किया और विदेह राज्य की स्थापना की। विदेह के राजा

मिथि के नाम पर यह प्रदेश मिथिला कहलाने लगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला के एक राजा जो जनक कहलाते थे, वही जनक वंश के अन्तिम राजा सिरध्वज जनक की पुत्री सीता थी।[3]

विदेह राजाओं के पतन के पश्चात मिथिला में केन्द्रवर्ती शासन का अभाव रहा और 750 ई0 पू0 के लगभग वैशाली गणतंत्र की स्थापना के बाद मिथिला भी बज्जि महासंघ के शासन में आ गयी।[4] इसी बीच लगभग 525 ई0 पू0 के आसपास मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा वज्जि महासंघ के बाद पुनः मिथिला में किसी तरह सम्भवतः गणतंत्रीय शासन चलते रहा। 326 ई0 पू0 के आसपास महाक्षतांत्रक कहलाने वाले महापद्यनन्द ने अजातशत्रु के आक्रमण से बचे हुए मिथिला के गणतंत्र को भी समाप्त कर दिया।[5] यह भी उल्लेख मिलता है कि आधुनिक नानपुर परगना के दरभंगा नाम से ज्ञात भू–भाग में अलर्क नामक एक राजा बलि भी राज्य किया था।[6]

विदेह राजतंत्र तथा वज्जी महासंघ के विघटन के समय तक मिथिला में निरन्तर पराजय तथा दासता का इतिहास रहा है। इसी बीच कर्नाट वंश जिसे सिमराँव राजवंश के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना (लगभग 1080 ई0 से 1324 ई0 तक) के रूप में मिथिला का नवयुग का सूत्रपात हुआ।[7] इसका पहला राजा नान्यदेव था, इसके बाद मल्लदेव और गंगदेव (1147 ई0 से 1187 ई0 तक) इन्होंने वर्तमान मधुबनी जिले के अंधराठाढ़ी में विशाल गढ़ बनवाया था। लेकिन मुसलमानों के आक्रमण से कर्नाट वंश के अन्तिम राजा हरिसिंह देव (1303 ई0 से 1324 ई0 तक) नेपाल पलायन करने के साथ इस वंश के शासक का अंत हो गया। इधर करीब 30 वर्षों तक मिथिला के राजनीतिक मंच पर अराजकता तथा नृशंसता का ताण्डव होते रहा। सुल्तान फिरोजशाह तुगलक के प्रथम बंगाल आक्रमण के समय मैथिल ब्राह्मण ओइनवार वंश (ठाकुर) (लगभग 1353 ई0 से 1526 ई0 तक) के कामेश्वर ठाकुर को मिथिला (तिरहुत) का शासनाधिकार दे दिया गया। इसी बीच राजा शिव सिंह देव के कार्यकाल में जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शाह की सेना गयास बेग के नेतृत्व में मिथिला पर आक्रमण कर खूनी खेल को अंजाम देकर अन्तिम 16वाँ शासक लश्मीनाथ सिंह (1510 से 1525 ई0 तक) के साथ इस राजवंश के शासन को अंत कर दिया। शिव सिंह देव के बाद से ही मिथिला का शासन तंत्र शिथिल होने लगा था, और अराजकता की स्थिति रही। ओइनवार वंश के करीब 30 वर्षों बाद अकबर की कृपा से खण्डवाल कुल (दरभंगा महाराज) को शासन मिला। इस राज की स्थापना मैथिल ब्राह्मण जमींदारों ने 16वीं सदी की शुरूआत में की थी। जिसके शासन संस्थापक श्री महेश ठाकुर (1556–1569 ई0 तक) थे। महेश ठाकुर के परिवार और वंशजों ने धीरे–धीरे सामाजिक कृषि और राजनीतिक मामलों में अपनी शक्ति को मजबूत किया और उन्हें मधुबनी के राजा के रूप में माना जाने लगा।

दरभंगा राज के शासक भारत में सबसे बड़े जमींदार थे और इस तरह 'राजा' और बाद में 'महाराजा' और 'महाराजाधिराज' कहलाते थे। उन्हें शासक 'राजकुमार' का दर्जा दिया गया था।

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने कई भूमि सुधार कार्यो की शुरूआत की, और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। दरभंगा राज की शक्ति व अस्तित्व कम होती चली गई। अंत में राज दरभंगा के अन्तिम शासक महाराजा बहादूर सर श्री कामेश्वर सिंह थे, जो 1960 ई0 में एक उत्तराधिकार का नाम लिए बिना उनका निधन हो गया। इस प्रकार दरभंगा राज के शासन का अंत हो गया।

लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या उपरोक्त शासकों का कपड़ा धोने का कार्य राजधोबी किया करता था? और यदि हाँ तो इन तथ्यों की प्रमाणिकता की जाँच हेतु कोई अभिलेख या साक्ष्य उपलब्ध है, जिसके आधार पर कहा जा सके कि धोबी से ही राजधोबी बना?

अध्ययनकर्त्ता उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि व प्रमाणिकता हेतु Census of Bengal (1872) के रिपोर्ट की पंक्ति उद्धृत कर सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह एक धोबी ही था जो राजाओं का कपड़ा धोता था।

Mr. Wyer राजधोब/राजधोबी जाति की उत्पत्ति के बारे में प्रकाश डालते हुए लिखे है कि ''Rajdhob are in Bhaugulpore and Purneah merely. They have a legend that they formerly washed a certain Rajah's clothes, and that on his demise having no more clothes to wash.....''[8]

उपरोक्त पंक्ति और शासकों के अवलोकन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राजधोबी जाति इन्ही मिथिला के राजाओं के यहाँ कपड़ा धोने का कार्य करता था। जो आज भी उस समय के भागलपुर डिविजन और पूर्णिया जिलों के अन्तर्गत निवास कर रहे हैं। चूँकि यहाँ प्राचीन काल से ही विभिन्न शासकों का राज रहा है। यही वजह है कि अपने जाति धोबी के आगे राज यानि राजा का कपड़ा धोने वाले जाति के रूप में समाज में स्थापित किया और कालान्तर में यही धोबी, राजधोबी बना।

जब हम जातियों के इतिहास को देखते है तो ऐसे अनेक जातियाँ है, जो अंग्रेजी शासन काल में निम्न जाति की आर्थिक एवं शैक्षिक सुधार होने के कारण उनमें स्वाभिमान जागृत हुआ और शूद्र भी अपने को ब्राह्मण या क्षत्रियों से जोड़कर सम्मान पाने का प्रयास करने लगे। कुछ ने पुराणों और धर्मग्रंथों के महापुरूषों से अपनी जाति को जोड़ने का प्रयास किया। जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपने जातियों के नामों में कुछ बदलाव किए, जैसे – भर – राजभर, जोगी – जांगीर्ण, हज्जाम (नाई) – शर्मा, मल्लाह – केवट, कलवार – जायसवाल इत्यादि। लेकिन भारतीय संदर्भ में जाति की सबसे प्रमुख विशेषता जन्म पर आधरित होती है। यानि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, उसी जाति का कहलाता है। इनकी सामाजिक व्यवस्था में उच्चता व निम्नता में बदलाव नहीं होता, बल्कि जाति के नाम में बदलाव या आगे–पीछे जोड़कर अस्पृश्य जातियों से अपने को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया जाने लगा। वही हाल कुछ धोबियों में भी रहा, जो कुछ बदलाव कर धोबी से राजधोब या राजधोबी बना। लेकिन ये बदलाव पुरे राज्य भर के धोबियों में नहीं हुआ, ये धोबियों के सीमित समूहों में हुआ और ये धोबी अपने आपको अन्य धोबियों के समूहों से श्रेष्ठ व जाति संस्तरण में उच्च समझने लगे, क्योंकि ये लोग राज परिवार के व्यक्तिगत धोबी हुआ करते थे। यहाँ समाजशास्त्र की भाषा में इन धोबियों में विसंस्कृतीकरण (Culturation, de) की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानि ये धोबी समूह अपनी संस्कृति के तत्वों को उच्च आकांक्षा हेतु खोने लगता है, और बाह्य संस्कृति के तत्वों को अपनाते हुए अपने को उच्च समझने लगता है। यही विसंस्कृतीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप धोबी जाति की परम्परागत व्यवसाय को राजधोबी जाति अपनी व्यावसायिकता को श्रेष्ठ समझते हुए, उससे दूरी बनाने लगा और यही से उपजाति के रूप में परिवर्तन की शुरूआत होती है।

भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक जी0एस0 धुर्ये ने अपनी पुस्तक Caste and Race in India (1932)[9] में कहा है कि उप–जाति, जाति का ही विभाजन है। इसके बारे में दो मत पाए जाते हैं – पहला, उप–जाति का विभाजन एक ही समूह के विभाजन से हुआ है और दूसरा, यह कि इसका उदय स्वतंत्र समूहों के रूप में हुआ है। धुर्ये का मानना है कि उप–जातियों एवं जातियों में मुख्य रूप से छः आधरों पर प्रभेद कर सकते हैं – (1) क्षेत्रीय पृथकता (2) मिश्रित उत्पत्ति (3) व्यावसायिक श्रेष्ठता (4) व्यावसायिक प्रविधि में अंतर (5) रीति–रिवाजों में असमानता और (6) उपनाम। उपरोक्त प्रभेद के आधार पर राजधोबी जाति में क्षेत्रीय पृथकता थी, मैक्स वेबर के शब्दो में जाति प्रायः क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर समुदाय का निर्माण करती है। वही पृथक क्षेत्रीयता के कारण राजधोबी समुदाय का निर्माण हुआ।व्यावसायिक श्रेष्ठता यानि धोबी में अपने को उच्च (राजा का कपड़ा धोने वाला) समझना

और उनके विधि व रीति–रिवाजों में कुछ असमानता जैसे उपनाम दास, प्रसाद, राऊत (तीनों धोबी के उपनाम के रूप में अभी भी प्रचलित है) माझी, विश्वास, ईसर, मंडल, खड़गा, लौगी, संत, पाईक, गामी, परिहस्त, अधिकारी इत्यादि जैसे प्रभेद के कारण राजधोबी एक उपजाति बना।

धुर्ये के अनुसार जब उप–जाति बन जाती है तो मुख्य रूप से तीन कार्य करती है। पहला, विवाह पर प्रतिबंध, दूसरा, खान–पान पर प्रतिबंध, तीसरा, व्यवहार एवं सामुदायिक जीवन को नियंत्रित करना।

राजधोबी जाति भी उपरोक्त तीनों कार्यो पर प्रतिबंध लगाते हुए, एक उपजाति के निर्माण में अहम् भूमिका निभाई। इसकी प्रमाणिकता हेतु पुनः Mr. Wyer (1872) की कथन का उल्लेख करना समीचीन होगा। Mr. Wyer लिखे हैं कि राजव्यवस्था का अंत होने पर, इन लोगों के पास कपड़ों की कमी हो गई और ये लोग जीविकोपार्जन हेतु अन्य कार्य करने लगे। इसके बाद वेयर साहब के मतानुसार एक उपजाति के रूप में मुख्य तीन कार्यों पर राजधोबी भी प्रतिबंध लगाया, यानि विवाह व खानपान एवं सामुदायिक जीवन व व्यवहार पर। लेकिन यहाँ Mr. Wyer (1872) साहब यह भी लिखे हैं कि जो धोबी से खान–पान एवं शादी करना चाहते थे, वे करते थे। यानि ये कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं रहे और आज भी देखने को मिलता है।

उक्त विशेषताओं के आधार पर धुर्ये उप–जातियों को वास्तविक जाति के रूप में स्वीकार करते है। यद्यपि एक जाति साधरणतः अनेक उपजातियों में विभाजित होती है। चूँकि राजधोबी जाति का कोई उपजाति नहीं है। इससे भी प्रमाणित होता है कि धोबी का ही उपजाति राजधोबी है। प्रत्येक उपजाति सगोत्र विवाह परक होती है। यह विभाजन संभवतः उस लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसके अन्तर्गत समूह निरन्तर बँटते–बिखरते चले गये। विकास की इस लम्बी प्रक्रिया के फलस्वरूप ऐसे अनेक सगोत्री समूह बनते गये, जो साधरणतः एक भौगोलिक प्रक्षेत्र में फैले मिलते है। इनमें से प्रत्येक अपने में अनन्यता की भावना बनाये रखता है तथा दूसरे समान समूहों से संबंध रखता है। परंपरानुगत, यह वह सबसे छोटा समूह है जो अंतवैवाहिक एकता स्थापित करता है, तथा ऐसे छोटे समूह अन्य ऐसे ही छोटे समूहों से अलग पहचाने जाते है। समूह के सारे सदस्य एक समान धंधो अथवा कतिपय धंधो में लगे रहते है, जैसे राजधोबी कपड़ा धोने के साथ–साथ मजदूरी, कृषि, पशुपालन इत्यादि धंधो में लगे रहे हैं। इसके सदस्य एक–दूसरे के द्वारा बनाया भोजन खाते है, उनकी संस्कृति एक समान होती है तथा अधिकांश मामलों में वे एक ही जाति–पंचायत द्वारा संचालित होते है।

Wester Marck (1891)[10] के अनुसार भी व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, वह आजीवन उसी जाति में रहता है। प्रत्येक जाति उपजातियों में विभक्त होता है, और प्रत्येक उपजाति का विधान है कि वह अपने सदस्यों को अपनी उपजाति में ही विवाह की अनुमति दे।

राजधोबी जाति भी अर्न्तविवाही (Endogamy) प्रथा को अपनाते हुए एक उपजाति के रूप में अस्तित्व में आया। इनकी भी एक अलग संस्कृति, रीति–रिवाज और एक जाति पंचायत है। प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 'राजधोबी जाति धोबी जाति की ही उपजाति है', जिसकी पुष्टि अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना द्वारा ''बिहार के राजधोबी जाति का नृजातिय अध्ययन'' के दौरान भी प्रमाणित हुआ है।

वैसे धोबी जाति का कार्य वही रहा है, जो राजधोबी जाति का है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि धोबी सभी जातियों का गंदा कपड़ा धोते रहे है, और राजधोब या राजधोबी सिर्फ राजाओं का कपड़ा। लेकिन इनके पूर्वज निःसंदेह सभी जातियों का कपड़ा धोया करते थे। जो कालान्तर में राजाओं का परम्परागत व अपना अलग धोबी के रूप में राजधोबी बना। जबकि राजपरिवारो में अन्य सेवागत पेशा जैसे माली, कुम्हार, चर्मकार, बढ़ई, राजमिस्त्री, रंगरेज आदि सेवा प्रदान करनेवाली जातियों की तरह कपड़ा धोनेवाले धोबी के आगे राज उपसर्ग लगाकर राजधोबी कहलाने वाली जाति को धोबी नहीं माना गया। वस्तुतः शुद्र वर्ण धोबी एवं राजधोबी एक ही है, परंतु एक ही जाति समूह के होते हुए भी आज दोनो अलग–अलग आरक्षण कोटि में सूचीबद्ध है।

निष्कर्ष

राजधोबी जाति बिहार के मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया एवं पूर्णिया जिलो में ही पाई जाती है। इसे यहाँ राजधोब, राजधोबी, धोबिया, इत्यादि नामों से पुकारा जाता है तथा यह धोबी की उपजाति है। साथ ही सामाजिक वर्ण व्यवस्था में यह जाति सबसे निचले पायदान पर अवस्थित है। इनके पूर्वजों द्वारा अपने को राजधोबी कहलाने के बावजूद अस्पृश्यता के कारण इनकी सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन स्पष्टतः परिलक्षित होता है। ये लोग राजाओं का कपड़ा धोने का कार्य करते थे, तथा कालान्तर में राजतंत्र व्यवस्था खतरे में होने/समाप्त होने के कारण ये कपड़ा धोने के अतिरिक्त धीरे–धीरे अन्य पेशा से भी जुड़ने लगे। तथ्य संकलन के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ है कि 1960 ई0 के पूर्व तक, इस जाति को धोबी की उपजाति समझते हुए अनुसूचित जाति को मिलनेवाली सुविधा प्राप्त होती थी। परन्तु कब कैसे एवं क्यों इसे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया, इनकी जानकारी इन जातियों के पास नहीं है। अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, अंधविश्वास, बाढ़, भूमिविहीन व विस्थापन जैसे अनेक समस्याओं से ये लोग जुझ रहे है। हैरानी की बात यह है कि आज अधिकांश अनुसूचित जातियों से भी पिछड़ी एवं इतनी कम जनसंख्या होने के बाद भी इसे अनुसूचित जाति की सूची में नहीं रखा गया है, जो सोचनीय है। आज 21वीं शताब्दी में भी राजधोबी जाति अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए संघर्षरत है, ताकि मूल जाति धोबी की तरह संवैधानिक दर्जा एवं सुविधा प्राप्त कर सके। मगर, राजधोबी जाति के उत्थान की किरण धुँधली नजर आ रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. बिहार के राजधोबी जाति का नृजातिय अध्ययन, अनुग्रह नारायण सिंह, समाज अध्ययन संस्थान, पटना, 2018, पृ0 सं0 –6.
2. Census of India, District Census Report Purnea, 1891, 11.
3. वाल्मीकि, महर्षि – रामायण, गीता प्रेस, गोरखपुर, 1996, पृ0–163–164.
4. शर्मा, डॉ0 राम प्रकाश – मिथिला का इतिहास, कामेश्वर सिंह स0वि0वि0, दरभंगा, 2016, पृ0–29.
5. ठाकुर, डॉ0 उपेन्द्र – मिथिलाक इतिहास, मैथिली अकादमी, पटना, 1992, पृ0 – 37.
6. Ibid, P – 46.
7. Ibid, P – 143.
8. Census of Bengal, Secretariat Press, Calcutta, 1872, p – 175.
9. Ghurye GS. Caste and Race in India, Trubner & Co. Ltd, London, 1932, 15.
10. Westermack EA. History of Human Marriage, Macmillan and Co. London, 1891, 59.